

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

रामपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, गोण्डा, कासगंज, कौशाम्बी, वाराणसी, हरदोई, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी, मीरजापुर एवं अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक:09-04-2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लूप्रकोप-, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांडएवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹02,23,78,160/- (₹0 दो करोड़ तेईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठ मात्र)की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	रामपुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	12.00
2	अम्बेडकर नगर	सर्पदंश	4.00
		डूबकर होने वाली मृत्यु	4.00

8.00

3	गाजीपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	16.00
4	गोंडा	इबकर होने वाली मृत्यु	20.00
5	कासगंज	इबकर होने वाली मृत्यु	30.00
		सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	25.00
6	कौशाम्बी	इबकर होने वाली मृत्यु	0.375
		बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	0.9476
		सर्पदंश	8.75
7	वाराणसी	इबकर होने वाली मृत्यु	28.00
8	हरदोई	इबकर होने वाली मृत्यु	20.75
9	गोरखपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	12.00
10	बलिया	इबकर होने वाली मृत्यु	20.00
11	लखीमपुर खीरी	इबकर होने वाली मृत्यु	16.73
12	मिर्जापुर	सर्पदंश	1.229
13	अलीगढ़	सर्पदंश	4.00
		योग	223.7816
(रु० दो करोड़ तेईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठमात्र)			

55.00

10.07260

#### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का

कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 2,23,78,160/- (₹0 दो करोड़ तेईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठ) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

(भानु चन्द्र गोस्वामी) Goswami

Date: 09-04-2025 18:56:44

संख्या- 387(1)/एक10-2025-, तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-11/04/2025

प्रेषण संख्या:- 387  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-387  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 400000	400000 400000
2	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 6200000	1200000 6200000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2800000 2800000	2800000 2800000
4	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	122900 122900	122900 122900
5	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 1600000	1600000 1600000
6	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
7	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 6200000	1200000 6200000
8	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2075000 2075000	2075000 2075000
9	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1673000 1673000	1673000 1673000
10	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
11	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
12	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1007260 1007260	1007260 1007260
13	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5500000 5500000	5500000 5500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	22378160 32378160	22378160 32378160

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तेइस लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तेइस लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठ



(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय

उत्तर प्रदेश।